



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042024-253868
CG-DL-E-26042024-253868

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]
No. 278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 5, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 5, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

फा. सं. पीएनजीआरबी/तक/1-टी4एस सीजीडी (1)/2020.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

1) (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) विनियम, 2008 में, -

1) परिशिष्ट- II में, "मीटरिंग उपकरण" के शीर्ष के तहत:

i. "ओआईएमएल आर 137-1 एवं 2" से संबंधित पंक्ति में, "थर्मल मास फ्लो" शब्द और "आईएसओ 14511 के अनुरूप" शब्द हटा दिए जाएंगे; और

- ii.. अंत में पंक्ति "आईएसओ 10790" और "बंद नलिकाओं में द्रव प्रवाह का माप - कोरिओलिस फ्लोमीटर (द्रव्यमान प्रवाह, घनत्व और मात्रा प्रवाह माप)" के चयन, स्थापना और उपयोग के लिए मार्गदर्शन" शब्दों के बाद, निम्नलिखित तीन पंक्तियाँ सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:

ए.जी.ए. रिपोर्ट संख्या 8	प्राकृतिक गैस और अन्य संबंधित हाइड्रोकार्बन गैसों के कंप्रेसिबिलिटी कारक
आई.एस. 15677	प्राकृतिक गैस की मीटरिंग – पद्धति संहिता
ई.एन. 17526	गैस मीटर - थर्मल-मास फ्लो-मीटर आधारित गैस मीटर

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./047/2024-25]

पाद टिप्पण : मुख्य विनियम जी.एस.आर. 612(ई), दिनांक 27.08.2008 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् जी.एस.आर. 750(ई), दिनांक 14.10.2009 और फा.सं. एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 16-12-2014 और फा.सं. एल-विविध/VII/2007, दिनांक 01.01.2015 और फा.सं. एम(आई)/टी4एस/ सीजीडी/1/2010, दिनांक 09.03.2016 और फा.सं. एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 24.11.2016 और फा.सं. पीएनजीआरबी/तक/1- टी4एस/सीजीडी (1)/2019, दिनांक 07.11.2019 और फा.सं. पीएनजीआरबी /प्राधि/1 -सीजीडी(06)/2020, दिनांक 30.06.2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/तक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020, दिनांक 15.09 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/ तक /1-टी4एससीजीडी/(1) /2021 (पी-3369), दिनांक 27.08.2021 और फा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधि /1-सीजीडी (04)/2023 (पी-4451), दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2024

F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement:

- 1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2024.
- 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

1) In Annexure-II, under the head of "Metering Equipment":

- i. In the row relating to "OIML R137-1&2", the words "Thermal Mass Flow" and the words "conforming to ISO 14511", shall be deleted; and
- ii. At the end after the row "ISO 10790" and the words "Measurement of fluid flow in closed conduits- Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements)", the following three rows shall be inserted, namely:

AGA Report No.8	Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases
IS 15677	Metering of natural gas - Code of practice
EN 17526	Gas meter – Thermal-mass flow-meter based gas meter

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./047/2024-25]

Foot Note : The Principal regulations were notified vide G.S.R. 612(E), dated 27.08.2008, and subsequently amended vide G.S.R. 750(E), dated 14.10.2009 and F.No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 16-12-2014 and F. No. L-MISC/VI/1/2007, dated 01.01.2015 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 09.03.2016 and F.No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 24.11.2016 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019, dated 07.11.2019 and F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020, dated 30.06.2020 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020, dated 15.09 2020 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2021 (P-3369), dated 27.08.2021 and F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (04)/2023 (P-4451), dated 16.02.2024.